सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः- 562/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 24 दिसंबर 2020**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना अतरौलिया

हत्या की कोशिश करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 23.12.2020 को श्री विजय नारायन यादव पुत्र राम आसरे निवासी नंदना बाजार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना अतरौलिया पर शिकायत दर्ज करायी कि दिनांक 21.12.2020 को नकुल प्रजापति पुत्र रामफुलेल निवासी एकडल्ला थाना कटका जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा मेरे घर के दरवाजे पर ट्रैक्टर व मिक्सर मशीन से रास्ता अवरूद्ध कर दिया था। मेरे लड़के मंगेश उर्फ भोरू यादव द्वारा रास्ता साफ करने के लिए कहा गया तो बात ही बात में नकुल प्रजापति द्वारा मेरे लड़के को चाकू मार दिया गया। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 181/20 धारा 307/504 भादवि पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित/ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 24.12.2020 को उ0नि0 श्री रविन्द्र प्रताप यादव मय हमराह हे0 का0 हरिन्द्र यादव द्वारा दौरान क्षेत्र भ्रमण व चेकिंग अभियान के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त नकुल प्रजापति पुत्र रामफुलेल निवासी एकडल्ला थाना कटका जनपद अम्बेडकरनगर को कनैला से समय 10.30 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है|

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त नकुल प्रजापति पुत्र रामफुलेल निवासी एकडल्ला थाना कटका जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा बताया गया कि मैने गुस्से में चाकू से हमला कर दिया था |

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 181/20 धारा 307/504 भादवि थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

नकुल प्रजापति पुत्र रामफुलेल निवासी एकडल्ला थाना कटका जनपद अम्बेडकरनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 रविन्द्र प्रताप यादव मय हमराह हे0का0 हरिन्द्र यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ।

महराजगंज आजमगढ़

एक नफर वारंटी गिरफ्तार

वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम मे **पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व मे प्रभारी निरीक्षक महराजगंज श्री गजानन्द चौबे के सतत पर्यवेक्षण में आज दिनांक 24/12/20 को उ0नि0 (प्रशिक्षु) मय हमराही कर्म चारीगण तलाश वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मौजूद था कि जरिये मुखबीर सूचना मिली कि आप जिस वारंटी अभियुक्त की तलाश कर रहे है वह अपने घर पर ग्राम चौकन्ना रामचन्दर में मौजूद है जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 मय हमराही यान के साथ वारंटी के घर पहुँचा तो घर के बाहर एक व्यक्ति खड़ा मिला जिससे राकेश साहनी उपरोक्त के बारे में पूछा गया

तो बताया कि मैं ही राकेश साहनी हूँ । बाद बताने सम्बन्धित अ0सं0 241/04 धारा 363 , 366, 376 IPC के वारंटी को समय करीब 10.35 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

सम्बन्धित अभियोग

मु0अ0सं0 241/04 धारा 363, 366, 376 भादवि थाना महराजगंज जनपद आजमगढ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

अभियुक्त राकेश साहनी पुत्र हरिशचन्द्र साकिन चौकन्ना रामचन्दर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0- 241/2004 धारा 363,366,376 भादवि थाना महराजगंज जनपद आजमगढ।
2. मु0अ0सं0- 92/2018 धारा 147,149,308,323,452,504,506 भादवि थाना महराजगंज जनपद आजमगढ।
3. मु0अ0सं0-261/2017 धारा 147, 148, 308, 323, 324, 504, 506 भादवि थाना महराजगंज आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 (प्रशिक्षु) योगेन्द्र प्रसाद मयहमराह थाना महराजगंज जनपद आजमगढ।